संख्या-08/2026/194/क0नि0प्र0/26-3-2026-1582574

प्रेषक

अनुराग यादव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,
महानगर, लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक: 18 अगस्त,2026

समाज कल्याण विभाग

विषय: प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चिन्हित ग्रामों में गैप फिलिंग फंड के कार्यो के लिए कार्यदायी संस्था के चयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-03/2025/283/क0नि0प्र0/26-3-2025-1582574 दिनांक 21.07.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चिन्हित ग्रामों में गैप फिलिंग के कार्यो हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत को कार्यदायी संस्था के रुप में नामित किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा शासनादेश संख्या-03/2025/283/क0नि0प्र0/26-3-2025-1582574, दिनांक 21-07-2025 के प्रस्तर-4 में आंशिक संशोधन करते हुए यह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत चिन्हित ग्रामों में यदि किसी ग्राम पंचायत/प्रधान/प्रशासक द्वारा काम कराने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तब कार्यहित में जिलाधिकारी सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुरूप नई कार्यदायी संस्था नामित कर सकते हैं।

3- कृपया प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी0एम0-अजय) के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन के संबंध में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4- उक्त शासनादेश संख्या-03/2025/283/क0नि0प्र0/26-3-2025-1582584 दिनांक 21-07-2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(अनुराग यादव)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त माननीय सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्व०प्र०), समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0, शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0(द्वारा प्रबन्ध निदेशक,अनुगम) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत योजना के तहत कराये जाने वाले कार्यो की गुणवत्ता की मानीटरिंग जिला स्तर पर गठित डी0एल0पी0ए0सी0सी0 द्वारा नियमानुसार की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. पीएम-अजय योजना के अंतर्गत जनपद स्तर पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए चिन्हित ग्रामों के ग्राम प्रधानों को। (द्वारा प्रबन्ध निदेशक, अनुगम एवं संबंधित जनपद के जिलाधिकारी)
8. निदेशक, पंचायतीराज विभाग,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
9. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/ वित्त संसाधन(वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
11. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।